

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3010
दिनांक 15 मार्च, 2021

कर के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की उच्च कीमतें

3010. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना:
श्रीमती नुसरत जहां:
श्री भर्तृहरि महताब:
एडवोकेट ए.एम. आरिफ:
श्री एम. बदरुद्दीन अजमल:
श्री जयदेव गल्ला:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 के बीच विभिन्न देशों/कमनियों से आयात किए गए औसत मासिक कच्चे तेल बास्केट का माह-वार ब्यौरा क्या है तथा जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 के बीच केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, घरेलू ए.पी.जी. सिलिंडरों पर राज्य-वार और उत्पाद-वार कितना कर लगाया गया है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान संग्रहित कुल कर राशि में उक्त कर कितना योगदान है तथा उक्त अवधि के दौरान सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतें माह-वार कितनी बार बढ़ाई हैं;
- (ग) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2020-21 के बीच फरवरी, 2021 तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगाए जाने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में कोई परिवर्तन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परिवर्तन की तिथि और परिवर्तन दर क्या है तथा केन्द्र सरकार द्वारा प्रति लीटर पेट्रोल/डीजल पर कितना उत्पाद शुल्क लगाया गया; और
- (घ) कच्चे तेल की कम कीमतों के बावजूद देश में पेट्रोल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के क्या कारण हैं तथा क्या सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस वृद्धि से सामान्य लोगों को राहत पहुंचाने के लिए करों में कटौती करने पर विचार कर रही है तथा कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठा रही है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

- (क) जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 के दौरान कच्चे तेल के आयात का माह-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 के बीच पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी तथा एटीएफ पर वसूले गए करों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

1. **सीमा शुल्क** : घरेलू एलपीजी पर सीमा शुल्क शून्य है। पेट्रोल, डीजल तथा एटीएफ पर सीमा शुल्क की दरें नीचे दी गई हैं:

| | 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार | 02.02.2021 |
|----------------|----------------------------------|------------------------------------|
| पेट्रोल | 2.5% तथा 3% समाजिक कल्याण अधिभार | 2.5% तथा 10% समाजिक कल्याण अधिभार |
| डीजल | 2.5% तथा 3% समाजिक कल्याण अधिभार | 2.5 % तथा 10% समाजिक कल्याण अधिभार |
| एटीएफ | 5% तथा 10% समाजिक कल्याण अधिभार | 5% तथा 10% समाजिक कल्याण अधिभार |

2. **उत्पाद शुल्क** : पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में बदलावों के ब्यौरे **अनुलग्नक -II** में दिए गए हैं। जनवरी, 2020 से फरवरी, 2021 की अवधि के दौरान एटीएफ पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 11% है।
 3. **वैट**: 01 जनवरी, 2020 तथा 28 फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर राज्य-वार वैट की वास्तविक दरें **अनुलग्नक -III** में दी गई हैं। 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार एटीएफ पर वैट/बिक्री कर दरों तथा उसके बाद फरवरी, 2021 तक होने वाले बदलावों के ब्यौरे **अनुलग्नक -IV** में दिए गए हैं।
 4. **जीएसटी**: घरेलू एलपीजी 5% की लागू दर के साथ जीएसटी के अंतर्गत आती है।
- (ख) वर्ष 2019-20 तथा चालू वर्ष के लिए सभी गतिविधियों से पेट्रोलियम क्षेत्र द्वारा करों का अंशदान नीचे दिया गया है:

करोड़ रुपए में

| विवरण | 2019-20 | अप्रैल-दिसम्बर, 20 (अं) |
|---|---------|-------------------------|
| पेट्रोलियम क्षेत्र का केन्द्रीय और राज्य के राजकोष में कुल अंशदान | 555,370 | 421,381 |

स्रोत : पीपीएसी, (अ): अन्तिम

जनवरी, 2020 से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों के ब्यौरे पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) की वेबसाइट पर अर्थात् www.ppac.org.in पर उपलब्ध हैं और घरेलू एलपीजी के मूल्य आईओसीएल की वेबसाइट अर्थात् www.iocl.com पर उपलब्ध हैं।

(ग) दिनांक 01.04.2018 से पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में परिवर्तन के ब्यौरे **अनुलग्नक -II** में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के मूल्यों को क्रमशः 26.06.2010 और 19.10.2014 से बाजार निर्धारित बना दिया गया है। तब से, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों, विनियम दर, कर संरचना, अंतर्देशीय भाड़ा और अन्य लागत तत्वों के अनुसार पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेती हैं। देश में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबंधित उत्पादों के मूल्यों से जुड़े हैं। अप्रैल, 2020 से कच्चे तेल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। अप्रैल, 2020 में कच्चे तेल की भारतीय बॉस्केट का औसत मासिक मूल्य 19.90 डालर प्रति बैरल था जो फरवरी, 2021 में 207.64 % बढ़कर 61.22 डालर प्रति बैरल हो गया है।

“करों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों क उच्च मूल्य” के संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2021 को श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना, श्रीमती नुसरत जहां, श्री भर्तृहरि महताब, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री एम. बदरुद्दीन अजमल और श्री जयदेव गल्ला द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

| माह-वार कच्चा तेल आयात (पी) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|-------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | जन-20 | फर-20 | मार्च -20 | अप्रैल-20 | मई-20 | जून-20 | जुलाई -20 | अग-20 | सित-20 | अक्त-20 | नव-20 | दिस-20 | जन-21 | योग |
| मात्रा (टीएमटी में) | 20138 | 18647 | 19515 | 16553 | 14607 | 13677 | 12335 | 16859 | 15180 | 15259 | 18290 | 20489 | 19595 | 221144 |

स्रोत : पीपीएसी , (पी) : अंतिम

अनुलग्नक -II

“करों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों क उच्च मूल्य” के संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2021 को श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना, श्रीमती नुसरत जहां, श्री भर्तृहरि महताब, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री एम. बदरुद्दीन अजमल और श्री जयदेव गल्ला द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से पेट्रोल और डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दरों के ब्यौरे

| अवधि | केन्द्रीय उत्पाद शुल्क | | | |
|--------------------------------|---|--|--|--|
| | पेट्रोल (अनब्रांडेड) | पेट्रोल (ब्रांडेड) | डीजल (अनब्रांडेड) | डीजल (ब्रांडेड) |
| 01.04.2018 की स्थिति के अनुसार | 19.48 रुपये प्रति लीटर [4.48 रुपये बीईडी +7 एसएईडी +8 रुपये आरआईसी] | 20.66 रुपये प्रति लीटर [5.66 रुपये बीईडी + 7 रुपये एसएईडी + 8 रुपये आरआईसी] | 15.33 रुपये प्रति लीटर [6.33 रुपये बीईडी + 1 रुपये एसएईडी + 8 रुपये आरआईसी] | 17.69 रुपये प्रति लीटर [8.69 रुपये बीईडी +1 रुपये एसएईडी + 8 रुपये आरआईसी] |
| 05.10.2018-05.07.2019 | 17.98 रुपये प्रति लीटर [2.98 रुपये बीईडी+7 रुपये एसएईडी +8 रुपये आरआईसी] | 19.16 रुपये प्रति लीटर [4.16 रुपये बीईडी +7 रुपये एसएईडी + 8 रुपये आरआईसी] | 13.83 रुपये प्रति लीटर [4.83 रुपये बीईडी + 1 रुपये एसएईडी + 8 रुपये आरआईसी] | 17.69 रुपये प्रति लीटर [7.19 रुपये बीईडी + 1 रुपये एसएईडी + 8 रुपये आरआईसी] |
| 06.07.2019-13.03.2020 | 19.98 रुपये प्रति लीटर [2.98 रुपये बीईडी+8 रुपये एसएईडी +9 रुपये आरआईसी] | 21.16 रुपये प्रति लीटर [4.16 रुपये बीईडी + 8 रुपये एसएईडी + 9 रुपये आरआईसी] | 15.83 रुपये प्रति लीटर [4.83 रुपये बीईडी + 2 रुपये एसएईडी + 9 रुपये आरआईसी] | 18.19 रुपये प्रति लीटर [7.19 रुपये बीईडी + 2 रुपये एसएईडी + 9 रुपये आरआईसी] |
| 14.03.2020-05.05.2020 | 22.98 रुपये प्रति लीटर [2.98 रुपये बीईडी +10 रुपये एसएईडी +10 रुपये आरआईसी] | 24.16 रुपये प्रति लीटर [4.16 रुपये बीईडी +10 रुपये एसएईडी +10 रुपये आरआईसी] | 18.83 रुपये प्रति लीटर [4.83 रुपये बीईडी + 4 एसएईडी + 10 रुपये आरआईसी] | 21.19 रुपये प्रति लीटर [7.19 रुपये बीईडी + 4 रुपये एसएईडी + 10 रुपये आरआईसी] |
| 06.05.2020-01.02.2021 | 32.98 रुपये प्रति लीटर [2.98 रुपये बीईडी + 12 रुपये एसएईडी + 18 रुपये आरआईसी] | 34.16 रुपये प्रति लीटर [4.16 रुपये बीईडी + 12 रुपये एसएईडी + 18 रुपये आरआईसी] | 31.83 रुपये प्रति लीटर [4.83 रुपये बीईडी + 9 रुपये एसएईडी +18 रुपये आरआईसी] | 34.19 रुपये प्रति लीटर [7.19 रुपये बीईडी + 9 रुपये एसएईडी +18 रुपये आरआईसी] |
| 02.02.2021 से प्रभावी | 32.90 रुपये प्रति लीटर [1.40 रुपये बीईडी + 11 रुपये एसएईडी + 18 रुपये आरआईसी + 2.5 रुपए एआईडीसी] | 34.10 रुपये प्रति लीटर [2.60 रुपये बीईडी + 11 रुपये एसएईडी + 18 रुपये आरआईसी+ 2.5 रुपए एआईडीसी] | 31.80 रुपये प्रति लीटर [1.80 रुपये बीईडी + 8 रुपये एसएईडी +18 रुपये आरआईसी+ 4 रुपए एआईडीसी] | 34.20 रुपये प्रति लीटर [4.20 रुपये बीईडी + 8 रुपये एसएईडी +18 रुपये आरआईसी+ 4 रुपए एआईडीसी] |

- बीईडी - मूल उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम के तहत)
- एसईडी - विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम के तहत)
- एसएईडी - विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क
- एईडी - अतिरिक्त उत्पाद शुल्क/आरआईसी- 02.02.2018 से सड़क व बुनियादी उप कर

“करों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों क उच्च मूल्य” के संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2021 को श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना, श्रीमती नुसरत जहां, श्री भर्तृहरि महताब, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री एम. बदरुद्दीन अजमल और श्री जयदेव गल्ला द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक दिनांक 01.01.2020 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूले जाने वाले बिक्री कर/वैट की वास्तविक दरें

| क्रमांक | राज्य | पेट्रोल | डीजल |
|---------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 6% | 6% |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 31% वैट + ₹ 2/लीटर वैट | 22.25% वैट + ₹ 2/लीटर वैट |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 16.20% | 8.60% |
| 4 | असम | 32.66% या ₹.14 प्रति ली .जो भी वैट रूप में अधिक | 23.66% या ₹ 8.75 प्रति लीटर जो भी वैट रूप में अधिक |
| 5 | बिहार | 22% वैट या ₹ 65/लीटर जो भी अधिक अन्यथा 26% वैट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार) | 15% वैट या ₹ 64/लीटर जो भी अधिक अन्यथा 19% वैट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार) |
| 6 | चंडीगढ़ | ₹.10/केएल उप कर+17.45% वैट | ₹.10/केएल उप कर+9.02% वैट |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 25% वैट + ₹ 2 / लीटर वैट | 25% वैट + 1 / लीटर वैट |
| 8 | दादरा व नगर हवेली | 20% वैट | 15% वैट |
| 9 | दमन और दीव | 20% वैट | 15% वैट |
| 10 | दिल्ली | 27% वैट | ₹ 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट |
| 11 | गोवा | 21% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर | 18% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर |
| 12 | गुजरात | 17% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर | 17% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर |
| 13 | हरियाणा | 22.26% या ₹ .14.25 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर | 13.24% वैट या ₹ 8.15/ लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 25% या 14.50 / लीटर - जो भी अधिक हो | 14% या ₹ 8/ लीटर - जो भी अधिक हो |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 24% एमएसटी 5 + ₹ / लीटर रोजगार उप कर, ₹ 2.5 / लीटर की कमी | 16% एमएसटी + ₹1 / लीटर रोजगार उप कर, ₹ 0.50/ लीटर की कमी |
| 16 | झारखंड | बिक्री मूल्य पर 22% या ₹ 15.00 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर और इस परिकलित राशि पर 2.50 रुपए प्रति लीटर की कमी | बिक्री मूल्य पर 22% या ₹ 8.37 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + उप कर 1.00 रुपये प्रति लीटर और इस परिकलित राशि पर 2.50 रुपए प्रति लीटर की कमी |
| 17 | कर्नाटक | 32% बिक्री कर | 21% बिक्री कर |
| 18 | केरल | 30.08% बिक्री कर + ₹ /1 लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर | 22.76% बिक्री कर + ₹ /1 लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर |
| 19 | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य |
| 20 | म य प्रदेश | 33% वैट + ₹ 3.5 / लीटर वैट + 1% उप कर | 23% वैट + ₹ 2 /लीटर वैट + 1% उप कर |
| 21 | महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई | 26% वैट + ₹ .7.12 / लीटर अतिरिक्त कर | 24% वैट |
| 22 | महाराष्ट्र) शेष राज्य(| 25% वैट + ₹ .7.12 / लीटर अतिरिक्त कर | 21% वैट |
| 23 | मणपुर | 25 % वैट | 14.5% वैट |
| 24 | मेघालय | 22% वैट + 2% अधिभार | 13.5% वैट + 2% अधिभार |
| 25 | मिजोरम | 20% वैट | 12% वैट |
| 26 | नागालैंड | 20.38% वैट + 5% अधिभार + ₹ 1.50/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में | 10% वैट + 5% अधिभार + ₹ 1.50/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में |
| 27 | ओडिशा | 26% वैट | 26% वैट |
| 28 | पूदुचेरी | 21.15% वैट | 17.15% वैट |
| 29 | पंजाब | ₹ .2050/केएल (उप कर + (₹ 0.10 प्रति लीटर) शहरी परिवहन निधि+(20.11% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर | ₹ 1050/केएल (उप कर + (₹ 0.10 प्रति लीटर) शहरी परिवहन निधि+(11.80% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर |
| 30 | राजस्थान | 30% वैट + 1500 / केएल सड़क विकास उप कर | 22% वैट + ₹ .1750 / केएल सड़क विकास उप कर |
| 31 | सिक्किम | 25% वैट + ₹ 3000 / केएल उपकर+ ₹. 100/केएल सिक्किम उपभोक्ता कल्याण निधि | 12.5% वैट + ₹ 2500 / केएल उपकर+ ₹. 100/केएल सिक्किम उपभोक्ता कल्याण निधि |
| 32 | तमिलनाडु | 34% वैट | 25% वैट |
| 33 | तेलंगाना | 35.20% वैट | 27% वैट |
| 34 | त्रिपुरा | 23% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर | 15.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 23.78% या 14.41/ लीटर जो भी अधिक हो | 14.05% या 8.43 / लीटर जो भी अधिक हो |
| 36 | उत्तराखंड | 25% या 17रुपये प्रति लीटर जो भी वैट के तौर पर अधिक हो | 17.48% या ₹ 9.41 प्रति ली. जो भी वैट तौर पर अधिक |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 25% या ₹.13.12/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है+ 1000/केएल उप कर - ₹ 1000/केएल छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर) | 17% या ₹ 7.70/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है +1000/केएल उप कर - ₹ 1290/केएल बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में 20% अतिरिक्त कर) |

दिनांक 28.02.2021 के अनुसार विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूले जाने वाले बिक्री कर/वैट की वास्तविक दरें

| क्रमांक | राज्य | पेट्रोल | डीजल |
|---------|---------------------------------------|--|--|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 6% | 6% |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 31% वैट + रु 4/लीटर वैट + रु/1 लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट | 22.25% वैट + रु 4/लीटर वैट + रु/1 लीटर सड़क विकास उप कर और उस पर वैट |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 20.00% | 12.50% |
| 4 | असम | 32.66% या रु.22.63 प्रति ली .जो भी वैट रूप में अधिक तथा 5 रुपए प्रति लीटर की छूट घटाएं | 23.66% या रु 17.45 प्रति लीटर जो भी वैट रूप में अधिक तथा 5 रुपए प्रति लीटर की छूट घटाएं |
| 5 | बिहार | 26% वैट या रु 16.65/लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार) | 19% वैट या रु 12.33/लीटर जो भी अधिक (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 30% अधिभार) |
| 6 | चंडीगढ़ | रु.10/केएल उप कर+22.45% या रु.12.58/ली जो भी अधिक | रु.10/केएल उप कर+14.02% या रु.7.63/ली जो भी अधिक |
| 7 | छत्तीसगढ़ | 25% वैट + रु 2 / लीटर वैट | 25% वैट + 1 / लीटर वैट |
| 8 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 20% वैट | 20% वैट |
| 9 | दिल्ली | 30% वैट | रु 250/ केएल एयर एंबियंस शुल्क + 16.75% वैट |
| 10 | गोवा | 27% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर | 23% वैट + 0.5% ग्रीन उप कर |
| 11 | गुजरात | 20.1% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर | 20.2% वैट + वैट और टाउन रेट पर 4% उप कर |
| 12 | हरियाणा | 25% या रु .15.62 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है +वैट पर 5% अतिरिक्त कर | 16.40% वैट या रु 10.08 / लीटर जो भी वैट के रूप में अधिक है + वैट पर 5% अतिरिक्त कर |
| 13 | हिमाचल प्रदेश | 25% या 15.50 / लीटर - जो भी अधिक हो | 14% या रु 9 / लीटर - जो भी अधिक हो |
| 14 | जम्मू और कश्मीर | 24% एमएसटी 5 + रु / लीटर रोजगार उप कर, रु.0 50 / लीटर की कमी | 16% एमएसटी + रु.1 50 / लीटर रोजगार उप कर |
| 15 | झारखंड | बिक्री मूल्य पर 22% या रु 17.00 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + 1.00 रुपये प्रति लीटर उप कर | बिक्री मूल्य पर 22% या रु 12.50 प्रति लीटर, जो कभी भी अधिक है + उप कर 1.00 रुपये प्रति लीटर |
| 16 | कर्नाटक | 35% बिक्री कर | 24% बिक्री कर |
| 17 | केरल | 30.08% बिक्री कर + रु /1 लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर | 22.76% बिक्री कर + रु /1 लीटर अतिरिक्त बिक्री कर + 1% उप कर |
| 18 | लख | 24%एमएसटी+रु/5 लीटर रोजगार उप कर, रु2.5/लीटर छूट | 16% एमएसटी+रु/1 लीटर रोजगार उप कर, रु.0 50/ली .छूट |
| 19 | लक्षद्वीप | शून्य | शून्य |
| 20 | म य प्रदेश | 33% वैट + रु 4.5 / लीटर वैट + 1% उप कर | 23% वैट + रु /3 लीटर वैट + 1% उप कर |
| 21 | महाराष्ट्र - मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई | 26% वैट + रु .10.12 / लीटर अतिरिक्त कर | 24% वैट + रु3 .00 / लीटर अतिरिक्त कर |
| 22 | महाराष्ट्र) शेष राज्य(| 25% वैट + रु .10.12 / लीटर अतिरिक्त कर | 21% वैट + रु 3.00 / लीटर अतिरिक्त कर |
| 23 | मणपुर | 36.50% वैट | 22.50% वैट |
| 24 | मेघालय | 20% या रु 15.00 /लीटर-जो भी अधिक हो (यथा मूल्य कर पर केवल 2% अधिभार वसूली योग्य) | 12% या रु9 .00 /लीटर-जो भी अधिक हो (यथा मूल्य कर पर केवल 2% अधिभार वसूली योग्य) |
| 25 | मिजोरम | 25% वैट | 14.5% वैट |
| 26 | नागालैंड | 25% वैट या रु 16.04/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु 2.00/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में | 16.50% वैट या रु 10.51/लीटर जो भी अधिक हो + 5% अधिभार + रु. 2.00/लीटर सड़क रखरखाव उप कर के रूप में |
| 27 | ओडिशा | 32% वैट | 28% वैट |
| 28 | पुदुचेरी | 26% वैट | 17.75% वैट |
| 29 | पंजाब | रु .2050/केएल (उप कर + (रु 0.10 प्रति लीटर) शहरी परिवहन निधि+(24.79% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर | रु 1050/केएल) उप कर + (रु 0.10 प्रति लीटर) शहरी परिवहन निधि+(15.94% वैट + वैट पर 10% अतिरिक्त कर |
| 30 | राजस्थान | 36% वैट + 1500 / केएल सड़क विकास उप कर | 26% वैट + रु .1750 / केएल सड़क विकास उप कर |
| 31 | सिक्किम | 25.25% वैट + रु 3000 / केएल उपकर | 14.75% वैट + रु .2500 / केएल उपकर |
| 32 | तमिलनाडु | 15% + रु .13.02 प्रति लीटर | 11% + रु .9.62 प्रति लीटर |
| 33 | तेलंगाना | 35.20% वैट | 27% वैट |
| 34 | त्रिपुरा | 25% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर | 16.50% वैट + 3% त्रिपुरा सड़क विकास उप कर |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 26.80% या 18.74 / लीटर जो भी अधिक हो | 17.48% या 10.41 / लीटर जो भी अधिक हो |
| 36 | उत्तराखंड | 25% या 19 रुपये प्रति लीटर जो भी अधिक हो | 17.48% या रु 10.41 प्रति लीटर जो भी अधिक हो |
| 37 | पश्चिम बंगाल | 25% या रु.13.12/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है+ 1000/केएल उप कर - रु 17 /केएल की छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 20% का अतिरिक्त कर) | 17% या रु .7.70/लीटर जो भी बिक्री कर के रूप में अधिक है+ रु 100/केएल उपकर 1000/केएल बिक्री कर छूट (अपरिवर्तनीय कर के रूप में वैट पर 20% का अतिरिक्त कर) |

स्रोत :पीपीएसी

“करों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के उच्च मूल्य” के संबंध में दिनांक 15 मार्च, 2021 को श्री श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना, श्रीमती नुसरत जहां, श्री भर्तृहरि महताब, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री एम. बदरुद्दीन अजमल और श्री जयदेव गल्ला द्वारा लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

01.01.2020 की स्थिति के अनुसार फरवरी, 2021 तक एटीएफ पर वैट/बिक्री कर दरें

| राज्य | प्रभावी तारीख | एटीएफ |
|----------------------------|---------------|---|
| राजस्थान | 1/1/2020 | 26.00% |
| दिल्ली | 1/1/2020 | 25.00% |
| हरियाणा | 1/1/2020 | 21.00% |
| महाराष्ट्र | 1/1/2020 | 5%- मुंबई और पुणे , 25% - अन्य |
| गोवा | 1/1/2020 | 18.00% |
| आन्ध्र प्रदेश | 1/1/2020 | 1.00% |
| तेलंगाना | 1/1/2020 | 1.00% |
| पश्चिम बंगाल | 1/1/2020 | 25.00% + 20% कर पर अतिरिक्त कर 5%निर्धारित एयरलाइनों के लिए 40000 कि.ग्रा. से कम अधिकतम माल उठाने पर + बागडोगरा के लिए कर पर 20% अतिरिक्त कर एएसएफ- शून्य |
| सिक्किम | 1/1/2020 | 1.00% |
| अंडमान व निकोबार द्वीप | 1/1/2020 | 10%. पोर्टब्लेयर से जाने/आने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ - छूट |
| कर्नाटक | 1/1/2020 | 28.00% |
| केरल | 1/1/2020 | बिक्री कर 5% की दर से, बिक्री कर पर 1% की दर से उप कर |
| ओडिशा | 1/1/2020 | 5.00% |
| उत्तर प्रदेश | 1/1/2020 | 21.00% |
| गुजरात | 1/1/2020 | एटीएफ शुल्क प्रदत्त :-30% व 5% |
| दादर नगर हवेली | 1/1/2020 | 20.00% |
| दमन व दीव | 1/1/2020 | 20.00% |
| दादर नगर हवेली व दमन व दीव | 27.01.2020 | 20.00% |
| तमिलनाडु | 1/1/2020 | 29.00% |
| पूदुच्चेरी | 1/1/2020 | 14.50% |
| बिहार | 1/1/2020 | 29.00% |
| झारखंड | 1/1/2020 | 20.00% |
| मध्य प्रदेश | 1/1/2020 | 25%- इंदौर तथा भोपाल, 4%- अन्य |
| छत्तीसगढ़ | 05.04.2017 | 4% (31.03.2020 तक मान्य) |
| जम्मू व कश्मीर | 1/1/2020 | 26.25% |
| चंडीगढ़ | 1/1/2020 | 20% 20.00% (एमएसटी:-रु. 10/- प्रति कि.ली.) |
| हिमाचल प्रदेश | 1/1/2020 | 25% या रुपए 15.50/लीटर, जो भी अधिक हो |
| पंजाब | 1/1/2020 | 14.30% |
| उत्तराखंड | 1/1/2020 | 20.00% |
| अरुणाचल प्रदेश | 1/1/2020 | 20.00% |
| नगालैंड | 1/1/2020 | 1% कर दर +5% अधिभार |
| मणिपुर | 1/1/2020 | 20.00% |
| मिजोरम | 1/1/2020 | 20.00% |
| त्रिपुरा | 1/1/2020 | 16.00% |
| त्रिपुरा | 13.05.2020 | 16.00% |
| मेघालय | 1/1/2020 | 20.00% + 2% अधिभार |
| असम | 1/1/2020 | 23.65% |
| लखनौ | 1/1/2020 | 26.25% |

स्रोत : आईओसीएल